/

संख्याः 6298 /33–2–2017

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

जनवरी, 2018

पंचायती राज अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 01 ~~दिसम्बर,~~ 2017

विषयः जिला पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्ग निर्देशों का निर्धारण एवं पंचायती राज से सम्बन्धित साफ्टवेयरों पर अपलोडिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–11/2017/423/33– 3–2017–10जी.आई./2015 दिनांक 21 मार्च, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वर्ष 2017–18 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्ग निर्देशों एवं प्रिया–साफ्ट वर्ष 2015–16 में पर वार्षिक पुस्तिका बंदी के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा शासनादेश संख्या–5/2017/158/33–3–2016–10जी.आई./2015 दिनांक 23 जनवरी, 2017 से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2017–18 की ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किये जाने एवं उनको प्लान–प्लस पर अपलोड किये जाने के साथ प्रिया–साफ्ट के संचालन सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला पंचायत विकास योजना, जिला पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की गयी विकास योजना है जो कि जिला पंचायत की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण करते हुए विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन द्वारा तैयार की जाती है। जिला पंचायतों द्वारा अपनी कार्य योजनाओं को जिला पंचायत की बैठक में पारित कराकर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार से तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजनाओं को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के साफ्टवेयर–'प्लान–प्लस' पर अंकित किया जाता है, तत्पश्चात् क्रियान्वयन सम्बन्धित साफ्टवेयर–'एक्शन–साफ्ट' पर प्रत्येक वर्क आई0डी0 के सापेक्ष तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त भौतिक और वित्तीय प्रगति अंकित की जाती है तथा 'प्रिया–साफ्ट' साफ्टवेयर पर कार्यो का लेखा–जोखा रखा जाता है।

उक्त रूप से जिला पंचायतों द्वारा कार्यो का संचालन प्रत्येक वर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में प्रदेश में किया जाना है, जिसकी सफलता हेतु निम्नांकित बिन्दु पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है:–

1. चूंकि जिला पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी योजना का निर्माण किया जाना, एक सतत् प्रक्रिया है एवं वर्ष 2017–18 की विकास योजनाओं हेतु पंचायतों द्वारा 'नियोजन प्रक्रिया' जनवरी 2018 से प्रारम्भ की जानी है, ताकि 31 मार्च 2018 तक समस्त जिला

पंचायतों की विकास योजनायें ऑनलाइन साफ्टवेयर 'प्लान–प्लस' पर अपलोड की जा सके। समस्त पंचायतों की दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अपनी योजनाओं को तैयार कर उसे प्लान–प्लस साफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया जाए।

2. योजना तैयार करने में उक्त रूप से जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर से गठित विभिन्न समितियों/रिसोर्स ग्रुप के साथ पंचायत स्तरीय कर्मियों की अहम् भूमिका है, जो कि जिला पंचायत की बैठक के समय उपस्थित रहकर जिला पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उठायी गयी समस्याओं/आवश्यकताओं के पूर्ण रूप से निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे एवं पंचायतों को हस्तान्तरित कार्यो के अनुरूप ही सृजित सम्पत्तियों के रख–रखाव को भी योजना में सम्मिलित करेंगे।
3. इस प्रकार से योजना तैयार की गयी योजना को 'प्लान–प्लस' पर अपलोड करने के पश्चात् कार्यवार प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी अनुमोदन जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत निर्माण कार्य नियमावली में प्रदत्त नियमों के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।
4. इस प्रकार से जिला पंचायत द्वारा लिये गये कार्यो की यूनिक वर्क आई0डी0 एक्शन–साफ्ट साफ्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया–साफ्ट साफ्टवेयर पर बाउचर इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा–जोखा रखेगी।
5. उक्त रूप से वर्ष 2018–19 में एक्शन–साफ्ट एवं प्रिया–साफ्ट पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व आवश्यक होगा की जिला पंचायतें वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्यो की यूनिक वर्क आई0डी0, प्लान–प्लस तथा एक्शन–साफ्ट साफ्टवेयर पर जारी कराकर उसके सापेक्ष प्रिया–साफ्ट साफ्टवेयर पर बाउचर की इन्ट्री के माध्यम से व्यय धनराशि का लेखा–जोखा भी ऑनलाइन अंकित करें। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रदेश की सभी जिला पंचायतों की वर्ष 2017–18 की प्रिया–साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका शत्–प्रतिशत् बंद करने तथा वर्ष 2018–19 की प्लान–प्लस/एक्शन–साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई0डी0 के सापेक्ष व्यय की अद्यतन बाउचर इन्ट्री, प्रिया–साफ्ट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फीज करा दी जायें।
6. भारत सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों की मैपिंग हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम एम–एसेट है, तथा इस मोबाइल एप्लीकेशन पर एम–एसेट पर मोबाइल बेस एसेट मैपिंग किये जाने से पूर्व पंचायतों को नेशनल एसेट डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर पर सभी अचल परिसम्पत्तियों के आंकड़े भरना अनिवार्य होगा तथा इसके पश्चात् ही एम–एसेट पर परिसम्पत्तियों की फोटो एवं जी0आई0एस0 कोआर्डीनेट्स (Latiude & Longitude) को चिन्हित कर डाटा अपलोड किया जा सकेगा एवं सम्पत्तियों को देखा जा सकेगा।
7. जिला पंचायतों के अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को प्रशिक्षण करा दिया गया है। अतः जिला पंचायतों की अचल परिसम्पत्तियों को एम–एसेट मैप करने का कार्य अपर मुख्य अधिकारी/अभियन्ता, जिला पंचायत की देखरेख में किया जायेगा।
8. उक्त एसेट मैपिंग का कार्य सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा एन्ड्रायड बेसड मोबाइल जिसमें जी.पी.एस. की सुविधा सक्रिय हो, से किया जाना ही सम्भव होगा।
9. भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एन0आई0सी0 को टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है तथा जनपद स्तर पर नियुक्त जिला सूचना अधिकारी (डी0आई0ओ0) एन0आई0सी0 इस योजना में सफल क्रियान्वयन तथा पंचायतों द्वारा किये गये एसेट मैपिंग के दौरान साफ्टवेयर सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

10. पंचायतों द्वारा एसेट मैपिंग का कार्य पूर्ण रूप कर अपर मुख्य अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारियों द्वारा अपलोड की गयी फोटो तथा Latiude & Longitude की गुणवत्ता निर्धारित करने के उपरान्त सभी एसेट्स को पब्लिस किया जायेगा, जिससे कि सभी एसेट नेशनल एसेट डायरेक्टरी की वेबसाइट www.assetdirectory.gov.in की "Assets on Google Map" नामक रिपोर्ट पर देखा जा सकेगा।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 हेतु जिला पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करते हुए उन्हें 31 मार्च, 2018 तक प्लान–प्लस पर अपलोड किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए तथा साप्ताहिक बैठक कर जनपद स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी तथा अभियन्ता द्वारा प्लान–प्लस, एक्शन–साफ्ट तथा प्रिया–साफ्ट साफ्टवेयर पर की जा रही इन्ट्री की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत की वर्ष 2016–17 की प्रिया–साफ्ट पर वार्षिक पुस्तिका शत्–प्रतिशत् बन्द करने तथा वर्ष 2017–18 की प्लान–प्लस/एक्शन–साफ्ट साफ्टवेयर के माध्यम से प्रत्येक कार्य की वर्क आई0डी0 के सापेक्ष व्यय की अद्यतन बाउचर इन्ट्री, प्रिया–साफ्ट पर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से फीज कराने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 6295 (1)/33–2–2017, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।